न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 – 24/2015

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा त0 भादरा।

– वादी

ब ना म

1. दामोदरलाल वल्द टेउराम जाति सिंधी निवासी भादरा
2. कमीदेवी जोजे मंगतूराम निवासी भादरा
3. सागरमल वल्द श्योजीराम
4. भंवरलाल
5. लक्ष्मीनारायण
6. भवानीशंकर
7. ओमप्रकाश
8. कन्हैयालाल

} पि0सागरमल निवासी भादरा

9. नानूराम वल्द भगवानाराम सैनी
10. शिवकुमार वल्द मुरारीलाल महाजन
11. विजयकुमार वल्द झुमरमल नाहटा
12. जगत कुमार वल्द झुमरमल
13. शिवशंकर वल्द जगदीश प्रसाद महाजन भादरा
14. प्रभुदयाल वल्द सुलतानसिंह
15. सुमित्रा पुत्री जुगलाल खाती भादरा
16. अलीबक्श पुत्र जमालदीन कुरेशी निवासी अजीतपुरा
17. राजकुमार पुत्र सांवलमल
18. पवनकुमार वल्द मोहरसिंह सिहाग निवासी लाखनवास
19. देवकी पत्नी राजेन्द्र कुम्हार निवासी अजीतपुरा
20. राजबाला पत्नी धर्मपाल कुम्हार निवासी रतनपुरा
21. पन्नाराम वल्द रामलाल ब्राहम्ण निवासी भादरा
22. सिंकदर हयात वल्द हाजी अब्दूल करीम कौम बिसमाती
23. दीनदयाल वल्द च्यानणमल ब्राहम्ण निवासी डुंगराना।
24. बलवीर वल्द उदमीराम कुम्हार छानीबडी
25. जगदीश वल्द सुरजाराम निवासी डाबडी
26. जगदीश वल्द नानूराम निवासी छानीबडी
27. सुमित्रा पत्नी बलवान जाट निवासी सरदारपुराबास भादरा
28. मैनारानी पत्नी चंद्रपाल खाती निवासी भादरा

:– प्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत

उपस्थितः– श्री राजपैरोकार – वकील वादी
श्री कपूरचंद शर्मा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 28/02/2020

सक्षेंप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 बारानी के खाता सं0 90/332 के मु0 न0 68 के किला न0 6/1, 14/1, 18/1, 19 ता 22 कुल 0.7505है0 भूमि अप्रार्थी दामोदरलाल वल्द टेउमल की खातेदारी दर्ज

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रिकार्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अप्रार्थीगण अस्थाई निमाण कर अकृषि प्रयोजनार्थ तामिर व प्लाटिंग करवाया जा रहा है। इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन किया जा रहा है।

चक 8 बारानी की उपर वर्णित कुल 0.7505है0 बारानी खातेदारी भूमि में खातेदार द्वारा कृषि के लिए दी गई जोत की शर्तों को उल्लंघन कर प्लाटिंग कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर दिया गया है जो काबिले सिवाय चक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए।

खातेदार द्वारा विधि विरूद्व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिए उक्त कार्यवाही कर रही है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नही ली जा रही व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित अदालत होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी चक 8 बारानी के खाता सं0 90/332 के मु0 न0 68 के किला न0 6/1, 14/1, 18/1, 19 ता 22 कुल 0.7505है0 भूमि में न तो कोई मकान का निर्माण किया जा रहा है। ना ही कोई प्लाट काटे गये है। कृषि भूमि के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जा रही है उपर वर्णित कुल 0.7505है0 बारानी खातेदारी भूमि में खातेदार द्वारा कृषि के लिए दी गई जोत की शर्तों को उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अप्रार्थीगण अस्थाई निमाण कर अकृषि प्रयोजनार्थ तामिर व प्लाटिंग करवाया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि नगरपालिका भादरा के पैराफैरी क्षेत्र के अधीन है ऐसी सूरत में भूमि परिवर्तन एवं प्लाटिंग ईजाजत तामिर के लिए अधिकार क्षेत्र नगरपालिका भादरा को है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा नियमों उल्लंघन किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। राज पैरोकार में अपनी बहस में कथन किया कि वादभूमि को अप्रार्थीगण दुकाने व प्लाटिंग कर अकृषि कार्य में प्रयोजनार्थ काम में ले रही है जिससे राज्य सरकार अपूर्णीय राजस्व हानि उठानी पड रही है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने इसके खण्डन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण अपनी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी 90/332 के मु0 न0 68 के किला न0 6/1, 14/1, 18/1, 19 ता 22 कुल 0.7505है0 भूमि को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू– उपयोग परिवर्तन करवाने विधि सम्मत तरीके से नगरपालिका भादरा के क्षेत्र में होने के कारण अप्रार्थीगण को कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने के लिए अनुमति सादिर फरमाई जावे।

हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा चूंकि कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ करवाने के लिए सक्षम विभाग में पत्रावली पेश करनी चाहिए परन्तु अप्रार्थीगण भूमि रूपान्तरण करवाये बिना दुकाने व प्लाटिंग कार्य करने में सक्षम नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण को विधि के अनुरूप अपनी चक 8 बारानी के खाता सं0 90/332 के मु0 न0 68 के किला न0 6/1, 14/1, 18/1, 19 ता 22 कुल 0.7505है0 कृषि भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नगरपालिका भादरा से रूपान्तरण करवाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के निर्णय तकचक 8 बारानी के खाता सं0 90/332 के मु0 न0 68 के किला न0 6/1, 14/1, 18/1, 19 ता 22 कुल 0.7505है0 कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग न करे, किसी प्रकार की दुकाने व प्लाटिंग न करे, रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौके की यथास्थिति कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 13:35:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: